

न्यायालय : विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, एन.आई. एक्ट प्रकरण, संख्या
01, भीलवाड़ा

क्रमांक / 2021 / 993

दिनांक :- 18.05.2021

-:: नोटिस ::-


माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के परिपत्र क्रमांक 08/पी.आई./2021 दिनांक 16.05.2021 के निर्देशानुसार दिनांक 24.05.2021 तक अत्यावश्यक प्रकृति के मामले यथा जमानत प्रार्थना पत्र, रिमाण्ड मामलें, व्यादेश/स्थगन प्रार्थना पत्र, सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र, धारा 164 द.प्र.सं. कथन, मृत्यु कालीन कथन आदि की सुनवाई ही की जायेगी। अन्य ऐसे मामले जो अत्यावश्यक प्रकृति के नहीं हैं उनको स्थगित कर, कॉमन डेट दी जाकर न्यायक्षेत्र की वेबसाईट पर प्रकाशित कर यथासंभव सी.आई.एस. अद्यतन करना है।

अत्यावश्यक प्रकृति के मामले भी माइक्रोसॉफ्ट टीमस या अन्य उपयुक्त संचार साधन के माध्यम से सुनवाई हेतु लिये जायेंगे। किसी भी मामलें में पक्षकारान/अभिभाषकगण की व्यक्तिशः उपस्थित नहीं होना है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में दिनांक 17.05.2021 से दिनांक 24.05.2021 तक सुनवाई हेतु नियत सभी मामलों में निम्न तालिका के अनुसार आगामी कॉमन डेट नियत की जाती हैं :-

क्र.सं.	पेशी दिनांक	न्यायिक अभिरक्षा में होने के प्रकरणों की आगामी नियत दिनांक	अन्य समस्त पत्रावलियों में आगामी नियत दिनांक
1.	18.05.2021	01.06.2021	21.06.2021
2.	19.05.2021	02.06.2021	22.06.2021
3.	20.05.2021	03.06.2021	23.06.2021
4.	21.05.2021	04.06.2021	24.06.2021
5.	22.05.2021	05.06.2021	25.06.2021
6.	24.05.2021	07.06.2021	28.06.2021

नोट :- (प्र.सं. 2124/19 शिखा/भंवर, 790/2015 अशाफाक/अब्दुल जब्बार, 785/15 अशाफाक/इशाक व 2207/17 नरेन्द्र/राधेश्याम दिनांक 26.05.2021 हेतु नियत किये गये है।)



विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट,
एन.आई. एक्ट प्रकरण नं. 1
संख्या 01 भीलवाड़ा (राज.)

दिनांक

क्रमांक 995

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अध्यक्ष, जिला अभिभाषक संस्था, भीलवाड़ा।
2. नोटिस बोर्ड।
3. सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा, जिला न्यायालय, भीलवाड़ा को प्रेषित कर लेख है कि वह उक्त आदेश को जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करें।


विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट,
एन.आई. एक्ट प्रकरण नं. 1
संख्या 01 भीलवाड़ा (राज.)